कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 263 /2 ई0व0भू0 दिनांक 25 / 01 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः— जनपद बागेश्वर में गरूड़—कौसानी मोटर मार्ग से द्योराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 143 / 2018 / एफ0सी0 / 1316 दिनांक 22.09.2020.

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी —प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः—**	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयाक्ता अभिकरण की लागत पर 2.975 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम बदियाकोट सिविल खसरा नं0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जॅहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.975 है0 ग्राम बदियाकोट की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु रू0 10,03,122.00 मात्र (रू0 दस लाख तीन हजार एक सौ बाइस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021073135369538 Dtd 31-07-2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.975 है0 ग्राम बदियाकोट का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 24 / छब्बीस—03 वन(क्ष0वृ0) / 2023—24 दिनांक 24.01.2024 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है। **(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न—1)**

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नंही किया गया है।		कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
4	**शुद्व वर्तमान मूल्य**	
(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA न0 556 दिंनाक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिंनाक 18.09.2003 एंव 2/2006–एफ0सी0 दिंनाक 03.10.2016 एंव 5–3/2007–एफ.सी.दिंनाक 05.02.2009 में जारी दिशानिदेशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहतः **1.4875** है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।		एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR52021073135369538 Dtd 31-07-2021 द्वारा रू0 9,77,288.00 मात्र (रू0 नौ लाख सतहत्तर हजार दो सौ अठासी मात्र) जमा की जा चुकी है **(चालान की प्रति संलग्न–2)।**
(ख) विशेशज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो,जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयाक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता **(प्रमाण पत्र संलग्न–3)।**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 47 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 47 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. Will strictly monitor and ensure the no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	गाईडलाइन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिचित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने के दिंनाक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नंही की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा)
7	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in.) के माध्यम से क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किया गया है **(चालान की प्रति संलग्न)।**
8	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–5)**

9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगााने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षणः अधिनियम 1986 के प्रावधानों के कम मे प्रस्ताव में प्रारूप सं0–54 के नुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नंही है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नंही बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नंही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नंही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेशज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेशज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण साम्रगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नंही बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण साम्रगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नंही बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नही किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नंही किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नंही किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एंव पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42 / 2017FC दिंनाक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 का उल्ल्घन होगा एंव पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42 / 2017 FC दिंनाक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

डिस्पैचर
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

भवदीय,
25/01/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-07-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115521319
State Code.	UK
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	1980410/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Eighty Thousand Four Hundred and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6115521319
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-07-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115521319
State Code.	UK
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	1980410/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Eighty Thousand Four Hundred and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6115521319
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

SBINR52021073135369538 Dt. 31.7.2021

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 1115 / 121-2 बागेश्वर, दिनांक : 08 / 10 / 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से दयोराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं–15521/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 143 / 2018 / एफ0सी0 / 1316 दिनांक 22.09.2020।
2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क –972 / 3–5–2 दिनॉक 21.11.2017 के द्वारा निंधारित दरो के कम में वर्ष 2020–21 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.4875 है0	5	0.1	6,57,000.00	9,77,288.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	2.975 है0	"–"	"–"	3,37,184.00	10,03,122.00

RNo.2401 | 25 व0 भू0 दि0 9-10-2020
DA0 | सण्ड III / वनभूमि सहायक

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\demand note.docx"

आदेश.

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 2687 दिनांक 05/01/2024 से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से दयोरड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.487है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/143/2018/एफ0सी0/1316 दिनांक 22.09.2020 से निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृत के बिन्दु 3(ख) के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम बदियाकोट की 2.975है0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के नाम से हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम तहसीलदार कपकोट के पत्र संख्याः 105/आर0के0–विविध/2023–24 दिनांक 18 जनवरी, 2024 से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से दयोरड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.487है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बदियाकोट के गैर ज0वि0 श्रेणी 9(3) ख(1)के ख0खा0 संख्या–110 के पैमाईशी खेत नं0 4349 मध्ये 2.975है0 भूमि को भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 22.09.2020 से निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुसार वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्याः 24 /छब्बीस– 03 /वन(क्ष0वृ0)/2023–24 दिनांक 24/01/2024

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी,कपकोट।
03. अधिशासी अभियन्ता,प्रा0ख0,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
04. तहसीलदार कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि को हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण–पत्र के वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय तहसीलदार कपकोट, जनपद बागेश्वर।

संख्या 105 /आर0के0–विविध / 2023–24

दिनांक 19 जनवरी, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

417 19.1.24

29643

विषय :— जनपद बागेश्वर के गरूड–कौसानी मोटर मार्ग से दयोरडा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.487 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 51 / छब्बीस–3(19–20)वन (क्ष0वृ0) / 2023 दिनांक 09.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से जनपद बागेश्वर के गरूड–कौसानी मोटर मार्ग से दयोरडा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.487 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बदियाकोट की सिविल सोयक की दुगुनी 2.975 है0 भूमि हस्तान्तरण / नामान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

C/F.C

उक्त के कम में प्रकरण पर राजस्व उपनिरीक्षक, बदियाकोट से जॉच करायी गयी। प्रकरण पर राजस्व उपनिरीक्षक, बदियाकोट की आख्या अनुसार ग्राम बदियाकोट के गैर ज0 वि0 श्रेणी 9 (3) क, ख1 की ख0खा0 संख्या 110 के पै0 खेत न0 4349 मध्ये 2.975 है0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है।

DC 19/1/24

अतः उक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न– 08 पृष्ठ मूल में।

भवदीय,

तहसीलदार,
कपकोट।

मौका खसरा

ग्राम बढियाकोट रा0उ0नि0 क्षेत्र बढियाकोट तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर

विषय – कोसानी से दोपरड़ा कफलेख तक मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक भूमि बावत

खसरा संख्या	रकबा	खाता सं0	खातेदार	प्रस्तावित खसरा संख्या	रकबा	खाता सं0	कब्जेदार	विवरण
349	4.063	110	जंगल	4349 मि0	2.975	110	रा0 सरकार	महोदय प्रस्तावित भूमि मौके पर जंगल व पेड़ों से घिरी हुई है
			योग	01	2.975 है0			

महोदय

तैयार किया।

[signature] 13/08/24

[illegible] ....

जिला- ....

उद्धरण खतौनी

ग्राम बदियाकोट रा०उ०नि० क्षेत्र बदियाकोट तह० कपकोट जनपद बागेश्वर

खाता संख्या	खातेदार का नाम	कब्जा वर्ग	खेत संख्या	रकबा	लगान	विवरण
१०	जंगल		१४८	५॥	डुंगा	
			१४९	२३१	रे	
			१४५५	३६८॥	गधेरोला	
			१४५६	१८७॥	रे	
			१४५७	१२५	कन्याधारा	
			१४८०	८५॥	रे–	
			१४८१	१५७॥	रे–	
			क्रमशः ↓			
			४३४६	१२५	पतेलिभिया	
			४३४७	१६०॥=		
			४३४८	२०३=		
			४३४९	२०३=		
			४३५०	२४२॥=		
			४३५१	२८४।=		
			क्रमशः ↓			
			८३०२	५	धुरागली	
			८३०३	३	रे	
			८३०४	॥=	रे	
			८३०५	२–	रे	
	योग		३०८	४४७॥=		

महोदय

नकल से तैयार किया

S [signature]

2.37

प्रपत्र– 43

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़–कौसा मोटर मार्ग से दयौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

[illegible] सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/143/2018/एफ0सी0/1316 दिनांक: 22/09/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन)
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय: जनपद– बागेश्वर में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्योराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 949/1–जी FP/UK/Road/15521/2015 दिनांक 05.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/15521/2015 एवं मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्तावित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनायें चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.09.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद– बागेश्वर में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्योराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. [illegible] के लिए आवश्यक [illegible] वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण [illegible] के बाद ही वन भूमि कार्य प्रारम्भ।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.975 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम बन्दियाकोट सिविल खसरा नं0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.4875 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 47 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन

6 State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

8 एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9 संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

10 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

12 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15 परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लागू किया जाएगा।

17 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्ड/कार्यवाही होगी।

20 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

21 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

23 अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज नई दिल्ली।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)

Form-I
(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No---------------- *Dated---13.07.2015*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.488 hactares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Deorara to Kapleshwar from Garur Kaushani motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Deorara and Ratura** Village in **Garur** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.488 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities..

Enclose -- as above

Signature

Dated 13-07-2015

(Bhupal Singh Manral,)
District Collector

(Full name and official seal of the District Collector)

16

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से दयौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दयौराड़ा
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से दयौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.230 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.258 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.488 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दयौराड़ा द्वारा दिनांक 19/05/015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दयौराड़ा एवं रतौड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/ 10.7.015
ग्राम सचिव

ह0/
ग्राम प्रधान 10.07.015

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–20.1

दिनाक 19/05/015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दयौराड़ा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
क्र0सं0	1- रवीमानन्द जोशी	रवीमानन्द जोशी
	2- रमेशचन्द्र पन्त	[signature]
	3- कृष्णानन्द पन्त	K. 2. Pant
	4- [illegible]	[signature]
	5- जानकी जोशी	जानकी जोशी
	6- दीपक चन्द्र	[signature]
	7 गीतादेवी	गीतादेवी
	8- ममता देवी	ममतादेवी
	9- हंसीदेवी	हंसी देवी
	10- नन्दाबल्लभ	नन्दाबल्लभ
	11- कैलाशचन्द्र	कैलाशचन्द्र
	12- सुरेश चन्द्र	सुरेश चन्द्र
	13- [illegible]	[illegible]
	[signature] ली लिया	

[signature] 10.07.015

[signature]

प्रपत्र–3.2

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से दयौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरूड

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– गरूड़

उपखण्ड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से दयौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.230 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.258 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 1.488 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरूड़ की दिनांक [illegible] को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री सी0एस0डोभाल, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, गरूड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री सी0एस0डोभाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री खड़क सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती राधा गोस्वामी	बी0डी0सी0 क्षेत्र, गरुड़	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से दयौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.488 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरूड परिक्षेत्र के अन्तर्गत गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.488 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

1-6

प्रपत्र–20.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 13.7.15 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 10.7.2015 द्वारा गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग के लिए 1.4875 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, गरूड़ द्वारा गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग के लिए 1.4875 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग के लिए 1.4875 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

1-6

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.4875 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 13.07.2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।